बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 194279 पटना, दिनांक 28.07.2014

ग्रा0वि07(आं0)-41/2013

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार सिंह,
अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- मनरेगा योजना अंतर्गत पंचायत समिति से कार्यान्वित करायी गयी योजनाओं के लंबित भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मनरेगा योजना अन्तर्गत पत्रांक 166678 दिनांक 22.10.2013 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पंचायत समिति को कार्यान्वयन एजेंसी नामित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये है । e-FMS के नहीं लागू होने की स्थिति में पंचायत समिति के द्वारा मनरेगा योजना अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य का भुगतान पंचायत समिति के खाता के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं नाजीर के संयुक्त हस्ताक्षर किए जाने का प्रावधान है ।

इस क्रम में विभिन्न जिलों में पंचायत समिति द्वारा कार्यान्वित की गयी योजनाओं के विरूद्ध में लंबित भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश की मॉग की जा रही है ।

विदित हो कि लंबित दायित्वों के संबंध में विभागीय पत्रांक 170513 दिनांक 05.12.2013 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरांत भुगतान संबंधित निकाय यथा पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा एवं भुगतान आदेश सक्षम प्राधिकार यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत होगा । भुगतान संबंधी चेक e-FMS नहीं लागू होने की स्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं नाजीर के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत होगा । संबंधित सभी अभिलेख इत्यादि का संधारण संबंधित निकाय यथा पंचायत समिति के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय की अभिरक्षा में रखा जाएगा । इसका अंकेक्षण भी संबंधित पंचायत समिति के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा कराया जाएगा ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

28.7.14

(मिथिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्र स0- 16628
ग्रा.वि. 7(आ)- 43/2013

पटना, दिनांक- 22-10-2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय: **मनरेगा के कार्यान्वयन में पंचायत समितियों को कार्यान्वयन एजेंसी बनाने के संबंध में ।**

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 के 6 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद लगभग 700 ग्राम पंचायतों में शून्य मानव दिवस का सृजन MIS पर परिलक्षित हो रहा है । समीक्षा से यह विदित हुआ है कि इस वर्ष में अब तक औसत ग्राम पंचायत में राज्य में प्रतिदिन मात्र 24 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा रहा है ।

2- राज्य में माह अप्रैल, मई एवं जून में व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजित करने पर जोर दिया गया था । इस दौरान महादलित परिवारों की मांग सृजन का कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें 3 करोड से अधिक मानव दिवस की मांग सृजित हुई थी लेकिन अभी तक वह पूर्णरुपेण रोजगार में परिणित नहीं हो पायी है ।

3- तथ्यों के विश्लेषण से यह विदित है कि अनेकों ग्राम पंचायतें मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन नही कर पा रही है जिसके फलस्वरूप उन पंचायतों के ग्रामीण मजदूरों को रोजगार के अवसर नही मिल पा रहे हैं ।

22.X

4- राज्य मे इच्छुक ग्रामीण मजदूरों को रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में ग्राम पंचायतों के अलावे अन्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को भी कार्यान्वयन में लगाया जाए जैसा कि मनरेगा अधिनियम में प्रावधानित है ।

5- तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए राज्य में मजदूरों को रोजगार के समुचित अवसर समय पर उपलब्ध हों, इसे सुनिश्चित करने के लिये यह परामर्श दिया जाता है कि पंचायत समिति को भी मनरेगा के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया जाए । पंचायत समिति के माध्यम से कार्यान्वयन के संबंध में निम्नवत कार्रवाई किये जाने का सुझाव हैं:-

i. जिन ग्राम पंचायतों में अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन नही हो पा रहा है, वहां जिला कार्यक्रम समन्वयक पंचायत समितियों के माध्यम से भी कार्यान्वयन करायें । पंचायत समिति के माध्यम से कार्यान्वित होनेवाले इन कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण मनरेगा के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा । वे जिन पंचायत क्षेत्रों के प्रभारी हैं उस पंचायत क्षेत्र की पंचायत समिति के माध्यम से कार्यान्वित हो रही योजनाओं का तकनीकी पर्यवेक्षण करेंगे । पंचायत समिति के माध्यम से कार्यान्वित होने वाली योजनाओं में पंचायत तकनीकी सहायक द्वारा कोई तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया जाएगा और न ही उनकी कोई भूमिका होगी ।

ii. जिला एवं प्रखंड स्तर पर अभियंताओं की कमी की पूर्ति के लिये सेवा निवृत्त अभियंताओं को मनरेगा में तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु लगाने की अनुमति सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त है । (सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र 12951 दिनांक 06.08.2013 की प्रति सलग्न है) । तदनुसार उक्त कंडिका एक के अलावा अन्य पंचायतों में पंचायत समिति के माध्यम से कार्यान्वयन प्रारंभ करने से पूर्व जिला कार्यक्रम समन्वयक इस व्यवस्था अंतर्गत सेवा निवृत्त अभियंताओं की सेवायें उपलब्ध करायेंगे ।

iii. सामान्य प्रशासन विभाग के दिशानिर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी अपने स्तर से विज्ञापन प्रकाशित करके, उचित प्रक्रिया का पालन करके, सेवा निवृत्त अभियंताओं की सेवा लेंगें । सेवा निवृत्त अभियंताओं को देय भुगतान मनरेगा के प्रशासनिक व्यय मद से वहन किया जायेगा । सेवा निवृत्त अभियंताओं की निम्नवत सीमा होगी:-

क) 15 पंचायत से कम पंचायत वाले प्रखंडों में एक कनीय अभियंता एवं 15 पंचायत से अधिक पंचायत वाले प्रखंडों में 2 कनीय अभियंता ।

ख) हर अनुमंडल पर एक सहायक अभियंता एवं 5 से अधिक पंचायत वाले अनुमंडल में 2 सहायक अभियंता ।

ग) हर जिले में एक कार्यपालक अभियंता, यदि जिले में अनुमंडल की संख्या 4 से अधिक हों तो दो कार्यपालक अभियंता । इस प्रकार नियुक्त अभियंता पंचायत समिति का तकनीकी तंत्र होगा ।

iv. पंचायत समिति के खाता का संधारण प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं नाजिर के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा ।

v पंचायत समिति के माध्यम से कार्यान्वित होनेवाले सभी कार्यों का भुगतान अनिवार्य रूप से e-FMS के द्वारा होगा । कोई भी भुगतान e-FMS से भिन्न प्रक्रिया से नहीं होगा । इसके लिये इनको प्रशिक्षित किया जायेगा ।

vi. जबतक e-FMS से संबंधी व्यवस्था लागू नही हो जाती है तब तक इंदिरा आवास के वैयक्तिक शौचालयों, मनरेगा भवनो के निर्माण तथा कंडिका 5 (i) के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पंचायत समिति को दिये गये कार्य हेतु, पंचायतों को राशि विमुक्त करने की प्रक्रिया के अनुसार हीं पंचायत समिति को भी, संचित राशि 1 लाख रूपये से कम होने पर 10 लाख रूपये की राशि अग्रिम विमुक्त की जायेगी ।

vii. पंचायत रोजगार सेवकों को पंचायत समितियों द्वारा कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश नहीं दिया जाएगा । पंचायत समिति के द्वारा यथासंभव पंचायत सचिव को कार्यान्वयन हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाएगा ।

viii. कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार वे ग्राम पंचायतों के मामले में करते हैं ।

ix. प्रखंड विकास पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि वे पहले मजदूरों का खाता खुलवायें, उनके बैंक खातों का सत्यापन कराकर उनको MIS में update करावायें तथा e-FMS हेतु freeze करने हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें ।

x. मनरेगा की मार्गदर्शिका के अध्याय 7.4.1 में ग्राम पंचायत से भिन्न सभी कार्यान्वयन एजेन्सी के मामले में श्रम सामग्री के 60:40 का अनुपात प्रखंड स्तर पर संधारित करना है, तदनुसार प्रशासनिक स्वीकृति देने से पूर्व अनुपालन सुनिश्चित करा लिया जाए ।

xi. परामर्श के तौर पर निम्नवत् प्रकार की योजना का कार्यान्वयन पंचायत समिति के माध्यम से कराने पर विचार किया जाए ।

क) ऐसी योजना जो अन्तर पंचायत में फैली हो ।

ख) ऐसी योजना जिनकी लागत 5 लाख रूपया से ज्यादा हो ।

ग) निजी भूमि पर सृजित होने वाली परिसम्पत्ति ।

घ) प्रखंड स्तरीय मनरेगा भवन ।

ङ) जमींदारी बाँध ।

च) चौर जल निकासी ।

छ) राजस्व / मत्स्य विभाग के सैरात / तालाबों की उराही ।

ज) सिंचाई विभाग की विभागीय एन.ओ.सी. के बाद नहरों की खुदाई ।

झ) आहर एवं पइन की सफाई एवं खुदाई ।

ञ) इन्दिरा आवास के लाभान्वितों के घरों में वैयक्तिक शौचालय का निर्माण ।

ट) ग्रामीण कार्य विभाग के पथों पर (अनापत्ति प्राप्त कर) 1 किमी0 लंबाई से अन्यून वृक्षारोपण ।

6- लाइन विभागों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु लगातार दिशा निर्देश दिया जाता रहा है । जिला कार्यक्रम समन्वयक तदनुसार उन्हें भी कार्यक्रम का दायित्व सौंपें ।

7- अनुरोध है कि अपने जिला में अविलम्ब समीक्षा कर इस परामर्श के आलोक में शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई की जाए । इन निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा उप विकास आयुक्तों के साथ होनेवाली साप्ताहिक video conferencing में की जाएगी ।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

22.10.2013

(अमृत लाल मीणा)

सचिव ।

135
(2)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। आदेश ।।

आदेश संख्या– 3/एम0–32/2013सा0प्र0 12951 पटना–15, दि... 6.8. 2013

विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त पदाधि... तथा कर्मियों की सेवायें संविदा पर लिए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, ... पटना का संकल्प संख्या– 2804 दिनांक– 29.03.2010 निर्गत है जिसकी कंडिका–4 ... वैसे पदों का उल्लेख किया गया है जिन पर सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार ... नियोजित किया जा सकता है।

2. उक्त विभागीय संकल्प संख्या– 2804 दिनांक– 29.03.20... की कंडिका–6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत विभिन्न अतिरिक्त पदों को उक्त संक... की कंडिका–4 में सम्मिलित किया गया है, जिसके संदर्भ में अद्यतन विभागीय आदेश ...ख्या– 11338 दिनांक– 09.07.2013 निर्गत है।

3. उक्त के उपरांत विभिन्न विभागों द्वारा किये गये अनुरोध प... उनकी आवश्यकताओं और कठिनाईयों को देखते हुए, विभागीय संकल्प संख्या– 2804 दि...क– 29.03.2010 की कंडिका–6 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ के उपभोग करते हुए, निम्नरूप से ... अन्य पदों का उक्त संकल्प की कंडिका–4 में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मनरेगा योजनाओं ... सफल क्रियान्वयन, नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु पंचायत तकनीकी सहायक, क... अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यापालक अभियंता का पद,

(ii) गृह (आरक्षी) विभाग के अधीन वितंतु संचार व्यवस्था को ...नाये रखने के उद्देश्य से बिहार पुलिस रेडियो संगठन, पटना के साक्षर सिपाही ...क0), सहायक अवर निरीक्षक (तक0), अवर निरीक्षक (तक0) एवं पुलिस निरीक्षक (...0) स्तर का पद,

(iii) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के अधीन पुलिस ...क्षक का पद,

(iv) योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशाल... के अन्तर्गत तकनीकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का पद तथा

(v) सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सूचना लिपिक, छ...कार उर्दु सहायक, अनुवादक वाहन चालक, आशुलिपिक एवं अनुसेवक का पद।

7 134

4 पदों पर संविदा के आधार पर सेवाएँ लिए जाने के संबंध में उपर्युक्त संकल्प संख्या- 04 दिनांक- 29.03.2010 की कंडिका-5 मे अंकित शर्तें एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवाएँ लेने के लिए संबंधित विभागों द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

6/8/13
(बशिष्ठ सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक / एम0-23 / 2013सा0प्र0 12951 / पटना-15, दिनांक- 6.8. 2013

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय / वित्त विभाग (ई-गजट प्रशाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/13
(बशिष्ठ सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक / एम0-23 / 2013सा0प्र0 12951 / पटना-15, दिनांक- 6.8. 2013

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार / सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/13
(बशिष्ठ सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 3 / एम0-23 / 2013सा0प्र0 12951 / पटना-15, दिनांक- 6.8. 2013

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/13
(बशिष्ठ सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग,

बिहार, पटना ।

पत्रांक :- 170513
ग्रा.वि.-7(आ)-41/2013

पटना, दिनांक :- 05-12-2013 (16)

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा अंतर्गत पंचायत के द्वारा सृजित लंबित दायित्व की राशि के भुगतान के संबंध में ।**

महाशय,

जिलों द्वारा उपर्युक्त विषयक संबंधित मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराने की माँग की जा रही है । जिलों द्वारा उपलब्ध करायी गयी पंचायत द्वारा सृजित लंबित दायित्व की राशि के भुगतान संबंधी सूची की समीक्षा से यह परिलक्षित हो रहा है कि पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में कराये गये कार्यों के दायित्वों की राशि अभी तक लंबित हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है और इनका भुगतान बहुत पहले हो जाना चाहिये था ।

उक्त के संबंध में यह निदेश दिया जाता है कि :-

1. **जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने जिले के सभी लंबित दायित्वों की वित्तीय वर्षवार सूची तैयार करा कर उसकी समीक्षा कर लें ।**
2. **सूची में जो योजनायें पिछले वित्तीय वर्ष या उससे पूर्व की हैं, इनके दायित्वों का भुगतान क्यों नहीं हो पाया तथा इन दायित्वों के भुगतान के लंबित रहने के लिये जिम्मेदार कर्मियों/पदाधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुये लंबित दायित्वों की जाँच करा कर उनके भुगतान की कार्रवाई की जाय ।**
3. **जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा से यह भी स्पष्ट होता है कि कई कार्यों में जॉब कार्डधारियों के मजदूरी का बडा बकाया लंबित है । ऐसे मामलों में जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वयं समीक्षा कर भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ।**
4. **सामग्री राशि के भुगतान के लंबित होने की स्थिति में यह जाँच लिया जाय कि ये दायित्व कैसे सृजित हुये तथा इनका भुगतान किसके द्वारा किया गया है ?**
5. **जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक उपर्युक्त सभी बिन्दुओं पर कार्रवाई कर संतुष्ट होकर सभी लंबित दायित्वों का भुगतान करें ।**
6. **इसके अलावा यदि किसी बिन्दू पर मार्ग-दर्शन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो लंबित दायित्वों की तैयार अद्यतन सूची तथा उपर्युक्त सभी कार्रवाई के विवरणी के साथ विभाग को अवगत कराया जाय ।**

विश्वासभाजन

4.12.13

अमृत लाल मीणा
सचिव ।